



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58488

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 7833 वर्ष 2026

पृथ्वीराज उर्फ बोबी और अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: सुचेता पाठक, सुदीप कुमार पाठक

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य प्रतिवादी के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. यह जमानत याचिका अभियुक्त-आवेदकों, **पृथ्वीराज उर्फ बॉडी और विक्रम राजपूत** की ओर से दायर की गई है, जिसमें वाद अपराध संख्या 136/2025, धारा 191(2), 191(3), 352, 109(1) और

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



117(2) के तहत, बीएनएस, थाना मोहम्मदबाद, जिला फर्रुखाबाद में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहाई की मांग की गई है। मुकदमे की सुनवाई लंबित है।

3. संक्षेप में, एफआईआर में लगाए गए आरोप के अनुसार, आरोपी-आवेदकों पृथ्वीराज उर्फ बॉडी और विक्रम राजपूत तथा अन्य पांच सह-आरोपियों ने घायल व्यक्ति को किसी कठोर और कुंद वस्तु से चोट पहुंचाई है।

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि अभियुक्त आवेदकों का नाम एफआईआर में 5 अन्य नामित सह-आरोपियों के साथ दर्ज है, लेकिन एफआईआर में या घायल व्यक्तियों, अर्थात् सक्षम राजपूत और शिवम राजपूत के बयान में, किसी भी प्रकार की विशिष्ट और स्पष्ट भूमिका नहीं बताई गई है, जिसमें कठोर और कुंद वस्तु से चोट पहुँचाने के संबंध में अभियुक्त आवेदकों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया हो। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सह-आरोपी व्यक्ति, अर्थात् हरि दत्त उर्फ गोलू और दिनेश राजपूत, जिनकी भूमिका समान है, को इस न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 26.09.2025 और 31.10.2025 के आदेशों के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, जो आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 26853/2025 (हरि दत्त उर्फ गोलू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) और आपराधिक विविध मामलों में पारित किए गए थे। जमानत आवेदन संख्या 38002/2025 (दिनेश राजपूत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य)। इसके अलावा, आरोपी आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वे 31.01.2026 से जेल में हैं। इसके अलावा, माननीय एजीए के निवेदन के अनुसार, इस मामले में 24.02.2026 को पहले ही आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। निवेदन यह है कि मुकदमे के निष्कर्ष में काफी समय

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



लगेगा और जमानत पर रिहाई की स्थिति में उनके न्याय प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की प्रार्थना की गई है।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदकों की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि प्री-विचारण चरण में आवेदकों की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए वे किसी भी प्रकार की रियायत के पात्र नहीं हैं। यदि आवेदकों को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वे फिर से इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे।

6. इस बात पर विचार करते हुए कि यद्यपि आरोपी-आवेदकों का नाम अन्य सह-आरोपियों के साथ एफआईआर में दर्ज है, लेकिन एफआईआर या घायल के बयान में आरोपी-आवेदकों की कोई विशिष्ट और स्पष्ट भूमिका स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं की गई है, सह-आरोपी व्यक्ति, अर्थात् हरि दत्त उर्फ गोलू और दिनेश राजपूत, जिनकी भूमिका समान है, को पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है। विद्वान एजीए के निवेदन के अनुसार, इस मामले में आरोपपत्र पहले ही 24.02.2026 को दाखिल किया जा चुका है और इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के गवाहों को डराने-धमकाने और उन पर दबाव डालने की कोई उचित संभावना नहीं है। आवेदक 31.01.2026 से जेल में हैं और मुकदमे के निष्कर्ष के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए; भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद संख्या 53 पर विचार करते हुए **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2024 (एससी) मुकदमा 677, सर्वोच्च न्यायालय के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713 और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2022) 10 एससीसी 51** के फैसले पर विचार करते हुए, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदकों को उनके व्यक्तिगत

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, प्रत्येक जमानती संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का हो। निम्नलिखित शर्तों के साथ कि:-

- (i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और न ही गवाहों को धमकाएंगे।
- (ii) आवेदक यह वचन देंगे कि वे साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेंगे, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों।
- (iii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे, या तो स्वयं या संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार।
- (iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे निम्नलिखित तिथियों पर: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप निर्धारण और
- (iii) अभियुक्तों द्वारा अपने विरुद्ध साक्ष्यों में प्रकट होने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करने हेतु व्यक्तिगत रूप से बयान दर्ज करना।
- (v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, विचारण न्यायालय उनके विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्यवाही शुरू करेगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन विचारण न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. आवेदकों और जमानतदारों की पहचान और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा बांड स्वीकार किए जाने से पहले किया जाएगा।

20 मार्च, 2026

के.एन

(न्यायमूर्ति संतोष राय)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”